न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 82/2025 बउनवानी बद्रीलाल बैरवा बनाम नायब तहसीलदार टोडरा
पुत्र श्री जयकिशन बैरवा निवासी हिन्दवाड तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 193

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज	
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 12.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार टोडरा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर <u>*" पंचायती/सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने बाबत प्रार्थना पत्र जो दिनांक 30.5.2025 को ग्राम हिन्दवाड वासी द्वारा उप तहसील टोडरा में दिया गया जिसपर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति। "*</u> नायब तहसीलदारा टोडरा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार टोडरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार टोडरा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/2025/1724 दिनांक 18.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.2025 में चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2025 पर की गयी कार्यवाही की सूचना) नायब तहसीलदार टोडरा के पत्रांक 1723 दिनांक 18.9.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सहायक सूचना नायब तहसीलदार टोडरा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। किन्तु उक्त सूचना अधिनियम की तय समय सीमा मे उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का अधिनियम की तय समय सीमा मे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार व्यक्तिगत ध्यान देकर निस्तारण किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	